न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :– 95 / 2018

वादीया :– प्रेम उर्फ परमीदेवी पत्नी श्री बुधाराम, जाति बावरी निवासी चौकीदारों का बास किला कॉलोनी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सोहनलाल पुत्र श्री मंगाराम
2. भूण्डाराम पुत्र श्री प्रभुराम
3. प्रेमराम पुत्र श्री केशाराम
   जातियान बावरी निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. कमलादेवी पत्नी श्री रामलाल
5. धर्माराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
6. भवराई पत्नी स्व. श्री मंगलाराम
   जातियान बावरी निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
7. कमलादेवी पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी हिम्मताराम जाति बावरी निवासी ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
8. सुखीदेवी पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी श्री शंकरराम, जाति बावारी निवासी ग्राम फालका, तहसील जैतारण, जिला पाली राज.
9. अनोप पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी श्री मनोहर जाति बावरी निवासी बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हालमुकाम् गोपालपुरा ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर, राज.
10. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
11. मैनेजर विजया बैक शाखा जोधपुर रोड़ बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल, एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या–4 6 से 9 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री अनोपसिंह चारण एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः</u>**– 4/6/2025

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सीमा में भूमि खसरा नम्बर 930 रकबा 27.02 बीघा किस्म बारानी ए एवं खसरा नम्बर 941 रकबा 5.17 बीघा किस्म सेजज सोयम कुल खसरे दो की कुल भूमि 32.19 बीघा स्थित है। जिसमें वादीया का सहखातेदार के रूप में 1/2 हिस्सा निहित व राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 का 1/2 हिस्सा निहित व राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक

का उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से के अनुसार सयुक्त कब्जा काश्त है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को वाद पत्र में आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीया व प्रतिवादी संख्या 4 से 9 तक का वाद के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से माफिक मौके पर काबिज है एवं काश्त कर रहे है उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में स्थित 1/2 हिस्सा भूमि वादीया ने दिनांक 25.09.2008 को श्री शान्तिलाल पुत्र श्री लालारामजी बावरी से खरीद की। जिसकी बैचान दिनांक 08.10.2008 को उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध है। पूर्व में सह खातेदार नरसिंगराम एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 का एक राजस्व वाद संख्या 45/2008 अनवान नरसिंगराम वगैरा बनाम शान्तिलाल वगैरा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का पेश हुआ था जो जरिये विड्रा खारिज हो गया। उक्त राजस्व वाद सं. 45/2008 के साथ नरसिंहराम वगैरा ने एक राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 32/2008 अनवान नरसिंहराम वगैरा बनाम शान्तिलाल वगैरा धारा 212 आर.टी.एक्ट का न्यायालय हाजा में पेश किया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.2008 को खारिज क दिया गया। वादीया ने श्री शान्तिलाल से वादग्रस्त कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद किया है तब से लेकर आज दिन तक अपने हक हिस्से पर काबिज है व लगातार काश्त करती आ रही है। उपरोक्त वाद संख्या 45/2008 विड्रा करने के बाद श्री मंगलाराम के उताराधिकारी नरसिंहराम, धर्मराम वगैरा एवं वादीया के बीच वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा, इकरारनामा दिनांक 11.10.2010 को आपस में तहरीर व तकमील कर हस्ताक्षर अंगुठे, नोटेरी एडवोकेट से सत्यापित करवाया। इस बंटवाडा में वर्तमान में स्थित सरपंच श्री गोपसिंह एवं देवाराम बावरी की साख है। उपरोक्त बंटवाड़ा अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 941 रकबा 5.17 बीघा का पश्चिमी 1/2 हिस्सा वादीया के बंट में आया व नरसिंहराम वगैरा का पूर्वी 1/2 हिस्सा बंट में आया एवं खसरा नम्बर 930 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा का पश्चिमी 1/2 हिस्सा वादीया एवं नरसिंहराम वगैरा का पूर्वी 1/2 हिस्सा बंट में रखा गया। उक्त बंटवाड़ा करने के बाद आज दिन तक बंटवाड़ा इकरारनामा अनुसार मौके पर काबिज है व काश्त कर रहे है। वादीया वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा करवाकर अपने हक हिस्से की भूमि पर ऋण लेकर विकास कार्य करना चाहती है। इसलिए वादीया ने प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाने हेतु व राजस्व नक्शे में विधिवत् बंटवाडा अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया। परन्तु आज दिन तक

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बंटवाडा करवाने हेतु सहमत नही हुए। इसलिए वादीया को अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने हेतु वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है तथा वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि में बंटवाड़ा करने के पश्चात् वादीया के बंट की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करने हेतु वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 4 से 9 स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद के पैरा संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडत्रा किया जावे एवं वादीया के हक हिस्से की बंटसुदा व तरमीमसुदा कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया का दावा दिनांक 06.02.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 930 रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 941 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा का वादीया एवं प्रतिवादीगण द्वारा किये गये बंटवाड़ा इकरारनामा दिनांक 11.10.2010 में वर्णितानुसार बाई मीटस एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा किया जाकर वादीया के 1/2 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	प्रेम पत्नी बुद्धाराम हिस्सा पूर्ण जाति बावरी सा. बिलाडा खातेदार	930 941	2.1847 0.4665
2	अनोप पुत्री मंगलाराम हिस्सा 1/7 जाति बावरी सा.देह खातेदार कमलादेवी पत्नी रामलाल हिस्सा 1389/3808 जाति बावरी सा.देह खातेदार कमलादेवी पुत्री मंगलाराम हिस्सा 1/7 जाति बावरी सा.देह खातेदार धर्माराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 243/3808 जाति बावरी सा.देह खातेदार भवराई पत्नी मंगलाराम हिस्सा 1/7 जाति बावरी सा.देह खातेदार सुखीदेवी पुत्री मंगलाराम हिस्सा 1/7 जाति बावरी	930 941	2.1846 0.4665
3	(शामलाती रास्ता) अनोप पुत्री मंगलाराम हिस्सा 1/14 जाति बावरी सा.देह खातेदार कमलादेवी पत्नी रामलाल हिस्सा 60/329 जाति	930 941	0.0155 0.0135

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

	बावरी सा.देह खातेदार कमलादेवी पुत्री मंगलाराम हिस्सा 1/14 जाति बावरी सा.देह खातेदार धर्माराम पुत्र मंगलाराम हिस्सा 3/94 जाति बावरी सा.देह खातेदार प्रेम पत्नी बुद्धाराम हिस्सा 1/2 जाति बावरी सा. बिलाडा खातेदार भवराई पत्नी मंगलाराम हिस्सा 1/14 जाति बावरी सा.देह खातेदार सुखी देवी पुत्री मंगलाराम हिस्सा 1/14 जाति बावरी सा.देह खातेदार		

नोट :– कमला देवी पत्नी रामलाल हिस्सा 60/329 जाति बावरी सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 60/329(पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिलाडा
प्रेम पत्नी बुद्धाराम हिस्सा 1/2 जाति बावरी सा.बिलाडा खातेदार राहिन हिस्सा 1/4 (पूर्णखाता) विजया बैंक शाखा बिलाडा

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/06/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीया :– प्रेम उर्फ परमीदेवी पत्नी श्री बुधाराम, जाति बावरी निवासी चौकीदारों का बास किला कॉलोनी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सोहनलाल पुत्र श्री मंगाराम
2. भूण्डाराम पुत्र श्री प्रभुराम
3. प्रेमराम पुत्र श्री केशाराम जातियान बावरी निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
4. कमलादेवी पत्नी श्री रामलाल
5. धर्माराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम
6. भवराई पत्नी स्व. श्री मंगलाराम जातियान बावरी निवासीगण इन्द्रा कॉलोनी बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
7. कमलादेवी पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी हिम्मताराम जाति बावरी निवासी ग्राम बीजासनी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
8. सुखीदेवी पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी श्री शंकरराम, जाति बावारी निवासी ग्राम फालका, तहसील जैतारण, जिला पाली राज.
9. अनोप पुत्री स्व. श्री मंगलाराम पत्नी श्री मनोहर जाति बावरी निवासी बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर हालमुकाम् गोपालपुरा ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर, राज.
10. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
11. मैनेजर विजया बैक शाखा जोधपुर रोड़ बिलाड़ा।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 95 / 2018 दिनांक :– 4/06/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री राजेन्द्र कुमार पटेल अधिवक्ता वादीया मिनजानिब मुददई तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की ओर से श्री अनोपसिंह चारण अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4, 6 से 9 व 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 10 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक—की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......4/6/2025.. को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा